<u>2014 का विधेयक संख्यांक 184</u>

[दि पब्लिक प्रिमिसेस (इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड ओकुपेंट्स) अमेंडमेंट बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- 1971 का 40

(क) खंड (ङ) के उपखंड (2) में,--

(अ) मद (i) में, "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(आ) मद (ii) में, "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1956 का 1 2013 का 18

(इ) मद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

'(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित कोई ऐसी सरकारी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून भाग भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हो और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें ऐसी कंपनी भी सम्मिलित है, जो (उस अधिनियम के अर्थ में) प्रथम वर्णित कंपनी की समनुषंगी हो और जो सार्वजनिक परिवहन का, जिसके अंतर्गत मेट्रो रेल भी है, कारबार करती है । 2013 का 18

स्पष्टीकरण--मद (vii) के प्रयोजनों के लिए, "मेट्रो रेल" का वही अर्थ होगा जो मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (i) में उसका है ; 2002 का 60

(iiiक) किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय ;';

(ई) मद (v) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(v) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन गठित या उसमें निर्दिष्ट कोई न्यासी बोर्ड या कोई उत्तरवर्ती कंपनी ;"; 1963 का 38

(उ) उपखंड (3) में,--

(क) मद (i) में, "दिल्ली नगर निगम" शब्दों के स्थान पर, "नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खंड (9) में यथापरिभाषित परिषद् या दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया निगम या किए गए निगम" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; 1994 का 44 1957 का 66

(ख) मद (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी का या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया कोई स्थान । 2013 का 18

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उक्त धारा के

खंड (45) में आने वाले ''राज्य सरकार'' पद से ''दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन'' अभिप्रेत है ।';

(ऊ) खंड (चक) के उपखंड (ii) में, ''उपखंड (2) की मद (i) में'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् ''और उपखंड (3) की मद (iv) में'' शब्द, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ए) खंड (चक) के उपखंड (v) ''निगम'' शब्द के स्थान पर ''परिषद् निगम (कारपोरेशन) या निगम (कारपोरेशन्स)'' शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,-- धारा 4 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :---

''(1) यदि संपदा अधिकारी के पास इस बात की सूचना है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा है और उसे बेदखल किया जाना चाहिए तो वह संपदा अधिकारी, अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में जानकारी प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह कारण दर्शित करे कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए ।

(1क) यदि संपदा अधिकारी यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा है तो वह, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह कारण दर्शित करे कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए ।

(1ख) उपधारा (1) और उपधारा (1क) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने में हुए किसी विलंब से, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां दूषित नहीं होंगी ।'';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (i) में, ''से अधिक पहले की'' शब्दों के स्थान पर, ''के पश्चात् की'' शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,-- धारा 5 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

''(1) यदि, धारा 4 के अधीन सूचना के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण, यदि कोई हो, पर और उसके समर्थन में उसके द्वारा पेश किए गए किसी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन व्यक्तिगत सुनवाई, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, संपदा अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोग में है तो संपदा अधिकारी बेदखली का आदेश देगा जिसमें उसके कारण अभिलिखित होंगे और यह निदेश होगा कि सरकारी स्थान उस तारीख को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु

जो आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के पश्चात् की न हो, उन सभी व्यक्तियों द्वारा, जो उसका या उसके किसी भाग का अधिभोग कर रहे हैं, खाली कर दिया जाए और उस आदेश की एक प्रति उस सरकारी स्थान के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवाएगा :

परंतु संपदा अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन प्रत्येक आदेश यथासंभवशीघ्रता के साथ किया जाएगा और उसके द्वारा धारा 4 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर आदेश जारी करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ।'';

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

''परंतु यदि संपदा अधिकारी का लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा बाध्यकारी कारण विद्यमान है जो उस व्यक्ति को पन्द्रह दिन के भीतर स्थान खाली करने से निवारित करता है, तो संपदा अधिकारी, उस व्यक्ति को स्थान खाली करने के लिए उपधारा (1) के अधीन आदेश की समाप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन का और समय प्रदान कर सकेगा ।''।

धारा 7 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,--

(क) उपधारा (2क) में, ''साधारण ब्याज'' शब्दों के स्थान पर, ''चक्रवृद्धि ब्याज'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, ''उतने समय के अन्दर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट हो'' शब्दों के स्थान पर, ''उसके जारी किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

''(4) संपदा अधिकारी द्वारा, इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश यथासंभवशीघ्रता के साथ किया जाएगा और उसके द्वारा सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर आदेश जारी करने के सभी प्रयास किए जाएंगे ।''।

धारा 9 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

''परंतु यदि अपील अधिकारी का लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे बाध्यकारी कारण विद्यमान थे, जिनसे व्यक्ति समय पर अपील फाइल करने से निवारित हो गया था तो वह आपवादिक मामलों में उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा ।'';

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात् :--

"(4) इस धारा के अधीन अपील अधिकारी द्वारा प्रत्येक अपील का यथासंभवशीघ्रता के साथ निपटारा किया जाएगा और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का अंतिम रूप से निपटारा, अपील फाइल किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर करने का प्रत्येक प्रयास किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971, सरकारी स्थानों से, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों के और उन निगमों के, जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किए गए हैं, स्थान भी हैं, अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए त्वरित रूप से कार्य करने वाले तंत्र का उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था ।

2. दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यह अनुरोध किया है कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का संशोधन करके मेट्रो संपत्तियों को सरकारी स्थान के रूप में घोषित किया जाए और बेदखली की समस्या से अधिक शीघ्रकारी रीति से निपटने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन संपदा अधिकारी की शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों को प्रदत्त की जाएं ।

3. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ङ) में सरकारी स्थानों की परिभाषा अंतर्विष्ट है । सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (2) की मद (i) में यह उपबंधित है कि कोई ऐसा स्थान, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून भाग केंद्रीय सरकार द्वारा धारित हो या किसी ऐसी कंपनी, जो (उस अधिनियम के अर्थ में) प्रथमत: वर्णित कंपनी की समनुषंगी कंपनी हो, का हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया हो, सरकारी स्थान है । इस मद में भागत: केंद्रीय सरकार और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित समादत्त शेयर पूंजी को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

4. कंपनी अधिनियम, 1956 अब कंपनी अधिनियम, 2013 के रूप में पुनः अधिनियमित हो गया है ।

5. अत: सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (2) की विद्यमान मद को प्रतिस्थापित करके सरकारी स्थान के अर्थान्तर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित किसी ऐसी कंपनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून भाग भागत: केंद्रीय सरकार द्वारा धारित हो और भागत: एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें ऐसी कंपनी भी सम्मिलित है, जो (उस अधिनियम के अर्थ में) प्रथमतः वर्णित कंपनी की समनुषंगी कंपनी है और जो सार्वजनिक परिवहन का, जिसके अंतर्गत मेट्रो रेल भी है, कारबार करती है, के या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए किन्हीं स्थानों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

6. चूंकि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का, उसमें इस अधिनियम के

अधीन गठित या निर्दिष्ट किसी उत्तरवर्ती कंपनी को विद्यमान न्यासी बोर्ड में सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है, अत:, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (2) की मद (v) में वैसे ही परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ।

7. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में सरकारी स्थान से सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ङ) के उपखंड (3) की मद (i) में यथा अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दिल्ली नगर निगम या कोई नगरपालिक समिति या अधिसूचित क्षेत्र की समिति का कोई स्थान अभिप्रेत है । सिविल रिट याचिका सं0 9664/2007 वाले मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि क्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में "नगरपालिक समिति" या "अधिसूचित क्षेत्र की समिति" पद के अंतर्गत सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ङ) में यथा परिभाषित नगरपालिका परिषद् आती है । माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उनके द्वारा अभिनिर्धारित किसी स्थान के संबंध में प्रयुक्त "कोई नगरपालिक समिति या अधिसूचित क्षेत्र की समिति" पद में किसी प्रकार संदिग्धता का कोई प्रश्न ही नहीं है और रिट याचिका को खारिज कर दिया । भविष्य में पुन: किसी मुकदमेबाजी से बचने के लिए और किन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 2 का संशोधन करके सरकारी स्थान की परिधि के भीतर नगरपालिक परिषद् को लाने का प्रस्ताव है ।

8. नगरीय विकास पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित 'नगर निगम' शब्दों के स्थान पर, 'निगम (कारपोरेशन) या निगम (कारपोरेशन्स)' पद प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

9. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गए किसी स्थान को, अधिनियम की धारा 2(ङ)(3)(iii) के नीचे नई मद (iv) जोड़कर सरकारी स्थान की परिधि में लाने का प्रस्ताव है ।

10. अधिनियम की धारा 2 के खंड (चक) के उपखंड (ii) और उपखंड (v) में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे प्रस्तावित कंपनियों और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अधिकारियों की सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जा सके ।

11. नगरीय विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2011 पर कतिपय टीका-

टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं । इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील सं0 4064/2004, एस.डी. बंदी बनाम प्रभागीय यातायात अधिकारी, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य वाले मामले में तारीख 5 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय के पैरा 28 में अप्राधिकृत अधिभोग के संबंध में बीस सुझाव दिए थे । संसदीय स्थायी समिति की टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों का उद्देश्य सरकारी स्थान से अप्राधिकृत अधिभोगियों की समयबद्ध रीति में निर्बाध और त्वरित बेदखली करने का था । संसदीय स्थायी समिति की चार सिफारिशों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय में दिए गए उन अठारह सुझावों को, जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, कानूनी रूप देने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 में कतिपय उपयुक्त संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है ।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त बीस सुझावों में से दो सुझाव स्वीकार नहीं किए गए, क्योंकि इनसे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्यवाहियों में और विलम्ब कारित हो सकता है ।

13. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **एम. वेंकैया नायडु**

4 दिसंबर, 2014

उपाबंध

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं ।

* * * * * * *

(ङ) "सरकारी स्थान" से अभिप्रेत है—

* * * * * * *

(2) कोई ऐसा स्थान जो निम्नलिखित का हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया है :--

1956 का 1 (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित हो या कोई ऐसी कंपनी जो (उस अधिनियम के अर्थ में) प्रथमत वर्णित कंपनी की समनुषंगी हो,

1956 का 1 (ii) कोई निगम (जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी या कोई स्थानी प्राधिकारी नहीं है) जो किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो,

(iii) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय,

* * * * * * *

1963 का 38 (v) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन गठित कोई न्यासी बोर्ड,

* * * * * * *

(3) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के संबंध में,--

(i) कोई ऐसा स्थान जो दिल्ली नगर निगम या किसी नगर पालिक समिति या अधिसूचित क्षेत्र समिति का हो,

* * * * * * *

(चक) इस धारा के खंड (ङ) में निर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में, "कानूनी प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :--

* * * * * * *

(ii) उस खंड के उपखंड (2) की मद (i) में निर्दिष्ट सरकारी स्थान की बाबत, उसमें निर्दिष्ट, यथास्थिति, कंपनी या समनुषंगी कंपनी ;

* * * * * * *

(v) उस खंड के उपखंड (3) में निर्दिष्ट सरकारी स्थान की बाबत, उस

उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, निगम, समिति या प्राधिकरण ;

* * * * * * *

बेदखली के आदेश के खिलाफ कारण दर्शित करने के लिए सूचना का जारी किया जाना ।

4. (1) यदि संपदा अधिकारी की राय हो कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी स्थान का अप्राधिकृत अधिभोग कर रहे हैं और उनको बेदखल किया जाना चाहिए तो वह संपदा अधिकारी इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में एक लिखित सूचना जारी करेगा जिसमें सब संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे कारण दर्शित करें कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए ।

(2) सूचना में,--

* * * * * * *

(ख) सब संबंधित व्यक्तियों से, अर्थात् उन सभी व्यक्तियों से जो उस सरकारी स्थान का अधिभोग कर रहे हैं या जिनके अधिभोग में वह हो या जो उसमें हित का दावा करे, यह अपेक्षा की जाएगी कि वे :--

(i) प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, उस तारीख को या उसके पूर्व दर्शित करें जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो और उसके जारी किए जाने की तारीख से सात दिन से अधिक पहले की तारीख न हो, और

* * * * * * *

अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ।

5. (1) यदि धारा 4 के अधीन सूचना के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित कारण पर, यदि कोई हो, और उसके समर्थन में उसके द्वारा पेश किए गए किसी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् तथा धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन की गई वैयक्तिक सुनवाई के, यदि कोई हो, पश्चात्, संपदा अधिकारी के समाधान हो जाता है कि सरकारी स्थान अप्राधिकृत अधिभोग में है तो संपदा अधिकारी बेदखली का आदेश दे सकेगा, जिसमें उसके कारण अभिलिखिक होंगे और यह निदेश होगा कि उस सरकारी स्थान को उस तारीख को जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो उन सब व्यक्तियों द्वारा, जो उसका अथवा उसके किसी भाग का अधिभोग कर रहे हों, खाली कर दिया जाए और उस आदेश की एक प्रति उस सरकारी स्थान के बाहरी द्वार अथवा किसी अन्य सहज दृश्य भाग पर लगवाएगा ।

* * * * * * *

सरकारी स्थान के संबंध में किराया चुकाने या नुकसानी दिए जाने की अपेक्षा करने की शक्ति ।

7. (1) * * * * * *

(2क) संपदा अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश करते समय यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, किराए की बकाया या नुकसानी ऐसी दर से, जो विहित की जाए और जो ब्याज अधिनियम, 1978 के अर्थान्तर्गत ब्याज की चालू दर से अधिक नहीं होगी, साधारण ब्याज सहित संदेय होगी । 1978 का 14

(3) किसी व्यक्ति के खिलाफ उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तभी किया जाएगा जब उस व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना उसे जारी कर दी गई हो कि वह उतने समय के अन्दर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट हो कारण दर्शित करे कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और जब उसकी अपत्तियों में यदि कोई

हों, और किसी साक्ष्य पर, जो उसके समर्थन में पेश करे, संपदा अधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया हो ।

*   *   *   *   *   *   *

9. (1)   *   *   *   *   *   *   अपीलें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील,--

(क) धारा 5 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन उस आदेश के प्रकाशन की तारीख से बारह दिन के अन्दर की जाएगी, और

(ख) धारा 5ख या धारा 7 के अधीन किसी आदेश से अपील की दशा में उस तारीख से, जिसको वह आदेश आवेदक को संसूचित किया जाए बारह दिन के अन्दर की जाएगी; और

(ग) धारा 5ग के अधीन किए गए किसी आदेश से किसी अपील की दशा में आदेश की तारीख से बारह दिन के भीतर :

परन्तु यदि अपील अधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदक समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था तो वह अपील को उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा ।

*   *   *   *   *   *   *

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील अपील अधिकारी द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटाई जाएगी ।

*   *   *   *   *   *   *

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)
संशोधन विधेयक, 2014 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
2	8	मद रखी जाएगी	मदें रखी जाएगी
2	11	ऐसी सरकारी कंपनी	ऐसी कंपनी
3	3	(ऊ) खंड (चक) के उपखंड (ii) में,	(ऊ) खंड (चक) में,— (क) उपखंड (ii) में,
3	6	(ए) खंड (चक) के उपखंड (v)	(ख) उपखंड (v) में,
3	37	अधिभोग में है.	अधिभोग में हैं
7	16	किसी प्रकार संदिग्धता	किसी प्रकार की संदिग्धता
10	20	अधिकारी के	अधिकारी का
10	22	अभिलिखिक	अभिलिखित
10	36	अपत्तियों	आपत्तियों
11	13	भीतर :	भीतर की जाएगी :